FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0321   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 05/12/2025 14:57 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): सोमवार   Date From (दिनांक से): 08/09/2025   Date To (दिनांक तक): 08/09/2025
   Time Period (समय अवधि): पहर   Time From (समय से): 11:30 बजे   Time To (समय तक): 19:14 बजे

   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 05/12/2025   Time (समय): 09:00 बजे

   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001   Date & Time (दिनांक एवं समय) 05/12/2025 14:57:04 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): EAST, 109 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABI

   (b)Address(पता): GRAM NANGAL CHECHEEKA, KOTPUTALI BEHAROR

   (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
   Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

8

9

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 70,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., If any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, If necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

दिनांक 08.09.2025 को परिवादी श्री तेजसिंह पुत्र श्री रमेश चन्द निवासी ग्राम करवास पोस्ट जयसिंहपुरा जिला कोटपुतली-बहरोड ने एक हस्तलिखित रिपोर्ट अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर के समक्ष इस आशयं की पेश की कि" सेवा में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विशेष अनुसंधान ईकाई भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर विषयः-रंगे हाथो रिश्वत लेते पकडवाने के क्रम में-महोदय, निवेदन है कि मैं तेजसिंह पुत्र श्री रमेश चन्द निवासी ग्राम करवास पोस्ट-जयसिंहपुरा, कोटपुतली-बहरोड़ का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में लगभग 8700 वर्गमीटर कृषि भूमि ग्राम करवास में है। इसमें से 1000 वर्गमीटर कृषि भूमि पर ऑयल मिल चलाने के लिऐ फूॅड प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में भू उपयोग परिवर्तन का आवेदन उपखण्ड अधिकारी कोटपुतली बहरोड़ कार्यालय में दि. 24.03.2025 को मेरे पिताजी ने किया था। जिसका आवेदन स. LC/2024-25/216884 है। उक्त भू उपयोग परिवर्तन जारी करने की एवज में ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा पटवारी श्री सुरेन्द्र 5000/-रू. तथा तहसीलदार का रीडर श्री लेखराम मीणा स्वयं के लिए एवं तहसीलदार व SDM के नाम पर 1 लाख रू. की रिश्वत माँग रहा है। मेरे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने से मैं ही पीताजी के साथ आता जाता रहता हूँ। मैं एव मेरे पिताजी पटवारी, तहसीलदार के रीडर व अन्य अधिकारियों को रिश्वत नहीं देना चाहते है। उनको रंगे हाथों पकडवाना चाहते है इस कार्य के लिए पिताजी की मुझे पूर्ण सहमति है। श्री सुरेन्द्र चौधरी, श्री लेखराम मीणा व तहसीलदार , SDM साहब से हमारी कोई रंजिश नही है और नहीं कोई उधार लेन देन बकाया है। नाम तेजसिह,हस्ताक्षर-तेजसिह,पिता रमेशचन्द,पता-ग्राम करवास पो. जयसिहपुरा जि.कोटपुतली-बहरोड(राज) Mob.

इस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने मन् पुलिस निरीक्षक रघुवीर शरण को अपने कक्ष में बुलाया और श्री तेजसिंह पुत्र श्री रमेश चन्द निवासी ग्राम करवास पोस्ट जयसिंहपुरा जिला कोटपुतली-बहरोड से मेरा परिचय करवाया एवं उसके द्वारा पेश एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पर मन् पुलिस निरीक्षक को आवश्यक विधिक कार्यवाही करने का पृष्ठांकन कर सुपुर्द किया। इस पर में श्री तेजसिंह को साथ लेकर अपने कक्ष में आया और उक्त लिखित रिपोर्ट के सबंध में दरियाफ्त कि तो परिवादी श्री तेजसिंह ने प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित एवं स्वयं के हस्ताक्षरित एवं प्रार्थना पत्र के सभी तथ्य सही होना बताते हुये प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुनरावृति की। परिवादी ने एसीबी में कार्यवाही करने के लिए अपने पिताजी का सहमति पत्र पेश किया। इस प्रकार परिवादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन तथा मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्ट्या लोक सेवकों द्वारा रिश्वत मांग का पाया जाता है जिसका मांग सत्यापन करवाया जाना आवश्यक हैं। परिवादी श्री तेजसिंह ने उपरोक्त तथ्यों की पुनरावृति की। इस प्रकार परिवादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन तथा मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्ट्या लोक सेवक द्वारा रिश्वत मांग का पाया जाता है जिसका मांग सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से रिश्वत माग सत्यापन करवाये जाने का निर्णय लिया गया। जिस पर मॉग सत्यापन हेतु कार्यालय हाजा में उपस्थित श्री पन्ना लाल कानि नं० 09 को तलब कर कार्यालय की आलमारी से विभागीय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर तथा एक खाली (नया) मेमोरी कार्ड (32 जीबी सनडिस्क कम्पनी का) मंगवाया गया, तत्पश्चात परिवादी व कानि० श्री पन्ना लाल कानि नं0 09 का आपस में परिचय करवाया जाकर मोबाईल नम्बर आदान प्रदान करवाये गये तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से कानि० श्री पन्ना लाल कानि नं० 09 को अवगत कराया गया। तत्पश्चात परिवादी को विभागीय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की आवश्यक समझाईस कर उक्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर का खाली होना सुनिश्चित किया गया। तत्पश्चात उक्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में एक नया मेमोरी कार्ड लगाया गया, बाद उक्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर तथा मेमोरी कार्ड दोनों को परिवादी के समक्ष खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी तथा कानि० दोनों को दिखाया गया। जिस पर उपरोक्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को श्री पन्नालाल कानि.09 को सुपुर्द कर परिवादी श्री तेजसिंह एवं श्री पन्नालाल कानि.09 को मामले में गोपनीयता बनाये रखने हेतु हिदायत की गई तथा कानि० श्री पन्नालाल कानि एवं परिवादी श्री तेजसिंह को रिश्वत मॉग सत्यापन की कार्यवाही हेतु तहसील कार्यालय कोटपुतली-बहरोड़ को रवाना किया गया। समय 7.43 पी.एम पर श्री पन्नालाल कानि. 09 ने मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल फोन पर व्हाटसएप कॉल करके बताया की मैं व परिवादी ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर कोटपुतली बस स्टेंड पहुँचें। जहाँ से परिवादी ने संदिग्ध अधिकारी श्री लेखराम मीणा को समय 5.15 पी.एम पर स्वयं के मोबाईल फोन से उसके मोबाईल नम्बर पर कॉल किया तो संदिग्ध अधिकारी श्री लेखराम मीणा ने रिसिव कर कॉल काट दी।

परिवादी ने बताया कि अब ऑफिस की छुट्टी होने वाली है इसलिए श्री लेखराम मीणा अब मेरे गाँव स्थित दुकान पर आ सकता है। इस पर मैं ओर परिवादी उसकी मोटरसाईकिल से रवाना होकर परिवादी की गाँव स्थित दुकान पर पहुँचे और संदिग्ध अधिकारी के कॉल आने अथवा स्वय के आने का इतजार करने लगे। संदिग्ध अधिकारी श्री लेखराम मीणा ने समय 6.55 पी.एम पर स्वयं के मोवाईल नम्बर से परिवादी को कॉल कर परिवादी को स्वयं के घर गाँव चेचिपुरा पर मिलने के लिये बुलाया। परिवादी ने बताया कि चेचिपुरा यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर है। जिस पर मैं और परिवादी मोटरसाईकिल से रवाना होकर संदिग्ध अधिकारी के घर से कुछ दूरी पहले रूके। मैने समय 7.14 पी.एम पर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू कर माँग सत्यापन हेतु परिवादी को सुपुर्द कर संदिग्ध अधिकारी के पास जाने हेतु रवाना किया तथा में भी परिवादी के पीछे-पीछे अपनी उपस्थिती छुपाते हुये रवाना हुआ। कुछ समय बाद परिवादी मेरे पास आया जिस पर मैंने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। परिवादी ने बताया की संदिग्ध अधिकारी श्री लेखराज मीणा ने मुझसे कृषि भूमि पर ऑयल मिल चलाने के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में भू उपयोग परिवर्तन की रिपोर्ट तैयार करने हेतु तहसीलदार एवं एसडीएम के लिये पृथक-पृथक एक-एक लाख रूपये एवं स्वयं व टी. आई के लिये अलग से रिश्वत राशि की मांग की है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री तेजसिंह से वार्ता करने पर परिवादी ने उपरोक्त तथ्यों की ताईद की। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री पन्नालाल कानि. एवं परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत की तथा श्री पन्नालाल कानि को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुरक्षित अपने पास रखने तथा कल दिनांक 09.09.25 को परिवादी के साथ जाकर अन्य संदिग्धगण से रिश्वत माँग सत्यापन करवाने की हिदायत की गई। दिनांक 09.09.2025 को समय 11.45 ए एम पर श्री पन्नालाल कानि 09 ने मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल फोन पर व्हाटसएप कॉल करके बताया की आज सुबह में परिवादी को साथ लेकर संदिग्ध अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह, पटवारी के कार्यालय के पास पहुंचे। जहाँ पर परिवादी ने मुझे बताया कि पटवारी की गाडी दिखाई नहीं दे रही सम्भवतया श्री सुरेन्द्र सिंह अभी ऑफिस में नहीं है। मैं और परिवादी अपनी उपस्थिती छुपाते हुये श्री सुरेन्द्र सिंह, पटवारी के कार्यालय के आसपास मुकीम रहे। थोडी देर बाद परिवादी ने मुझे बताया कि आज पटवारी अवकाश पर होना जानकारी में आया है। इसलिए आज पटवारी से मुलाकात नहीं हो पायेगी तथा श्री लेखराम मीणा ने एसडीएम साहब से बात होने के बाद बताने के लिए कहा था इसलिए अभी श्री लेखराम से वापस नहीं मिलूँगा। इस पर परिवादी को गोपनियता बनाये रखने की हिदायत की तथा श्री पन्ना कानि 09 को मय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुरक्षित लेकर ब्यूरो मुख्यालय पहुंचने की हिदायत की गई। समय 3.30 पी. एम पर श्री पन्ना लाल कानि. 09 उपस्थित ब्यूरो मुख्यालय आया व डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि उक्त डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में परिवादी व संदिग्ध अधिकारी श्री लेखराम मीणा, रीडर तहसील कार्यालय कोटपुतली-बहरोड़ के बीच हुई वार्ता सुरक्षित है। मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चलाकर वॉईस क्लिप को सरसरी तौर पर सुना तो संदिग्ध अधिकारी श्री लेखराम मीणा द्वारा परिवादी से उसके कार्य की एवज में अपने उच्च अधिकारियों व स्वयं के लिये रिश्वत राशि 2,00,000/- रूपये की मांग करना प्रथम दृष्ट्या पाया गया है। रिश्वत मांग सत्यापन के समय काम में लिया गया डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर श्री पन्नालाल कानि 09 को सुपुर्द कर सुरक्षित रखने एव कल पुनः कोटपुतली पहुँचकर अन्य संदिग्ध अधिकारीगण की माँग सत्यापन कार्यवाही की हिदायत की गई। आईन्दा उक्त वॉईस क्लिप को सुना जाकर पृथक से परिवादी स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की जायेगी। हालात चौकी प्रभारी को अर्ज किये गये। परिवादी द्वारा सत्यापन कार्यवाही के बाद तुरन्त ही लेनदेन कार्यवाही की सम्भावना व्यक्त की है अतः श्री हिम्मत कानि 560 को स्वतन्त्र गवाहान पाबन्द कर लाने के लिए पत्राक स्पे-01 दिनाक 09.09.2025 देकर रवाना किया। दिनाक 10.09.2025 को समय 12.15 पीएम पर श्री पन्नालाल कानि 09 ने व्हाट्सअप वाईस कॉल कर मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं जयपुर से रवाना होकर कोटपुतली पहुँच गया और परिवादी को साथ लेकर पटवारी कार्यालय के पास में उपस्थित हूँ जिस पर संदिग्ध अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिह, पटवारी पटवार हल्का जयसिहपुरा से रिश्वत माँग सत्यापन वार्ता हेतु परिवादी को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द कर रवाना करने एवं स्वयं भी परिवादी के आस-पास रहने की हिदायत की गई। समय 12.26 पी.एम पर श्री पन्नालाल कानि 09 ने व्हाट्सअप वाईस कॉल कर मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैंने समय 12.18 पी.एम पर परिवादी को डिजिडल वॉयस रिकॉर्डर चालू कर संदिग्ध अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह पटवारी पटवार हल्का जयसिहपुरा से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु सुपुर्द कर रवाना कर दिया था तथा मैं भी परिवादी के आस पास ही अपनी उपस्थिती छुपाते हुये उपस्थित रहा। अभी अभी परिवादी ने मुझे डी.वी.आर. सुपुर्द किया जिसे मैंने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। परिवादी ने बताया कि संदिग्ध अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिह, पटवारी अभी भी कार्यालय में उपस्थित नहीं आया है तथा अन्य गाँव में गया होना सहकर्मी स्टाफ ने बताया है। इस पर संदिग्ध अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह, पटवारी के कार्यलय में उपस्थित आने का इंतजार करने की हिदायत की गई। समय 15.38 पी.एम पर श्री पन्नालाल कानि 09 ने व्हाट्सअप वाईस कॉल कर मन पुलिस निरीक्षक से परिवादी की वार्ता करवाई परिवादी ने बताया कि अभी तक भी संदिग्ध अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह, पटवारी कार्यालय में नहीं आया है और कई बार फिल्ड डयूटी से श्री सुरेन्द्र सिंह, पटवारी सीधे ही अपने घर चला जाता है इसलिए श्री सुरेन्द्र सिह पटवारी से फोन पर वार्ता कर कार्यालय में आने के संबंध में जानकारी कर लेता हूँ। जिस पर परिवादी व श्री पन्ना लाल कानि 09 को संदिग्ध

अधिकारी से फोन पर वार्ता को डी.वी.आर में रिकॉर्ड करने की हिदायत की गई। दिनांक 10.09.25 को समय 15.54 पी. एम पर श्री पन्नालाल कानि 09 ने व्हाट्सअप वाईस कॉल कर मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि परिवादी द्वारा स्वय के मोबाईल नं. से संदिग्ध अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह पटवारी को उसके मोबाईल न. पर समय 3.50 पी.एम पर कॉल करवाया और कार्यालय में आने के बारे में पुछा गया तो संदिग्ध अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह, पटवारी ने स्वयं के बाहर होना बताते हुए परिवादी को कल मिलने के लिये बुलाया। कॉल डिस्कनेक्ट हो जाने पर पुनः परिवादी द्वारा समय 03.53 पीएम पर संदिग्ध अधिकारी को कॉल किया और अपनी फाईल के बारे में पुछा तो संदिग्ध अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह, पटवारी ने फाईल आगे कार्यवाही के लिये भेजना बताया और कल मिलने के लिये कहा। श्री पन्ना लाल कानि ने बताया कि उक्त दोनों वार्ताओं को वॉयस रिकॉर्डर में परिवादी का फोन का लाउड स्पीकर ऑन कर रिकॉर्ड किया गया है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री पन्ना लाल कानि. को डी बी आर सुरक्षित रखने व गोपनीयता की हिदायत कर कल संदिग्ध अधिकारी से मिलने के लिये परिवादी को भेजने के लिये कहा गया। दिनांक 11.09.25 को समय 11.21 ए.एम पर मन पुलिस निरीक्षक ने जरिये वाट्सअप वॉयस काल श्री पन्ना लाल कानि.09 से वार्ता कर संदिग्ध अधिकारीगण के पास सत्यापन हेतु परिवादी को भिजवाये जाने के बारे में कहा तो श्री पन्ना लाल कानि मे बताया कि अभी श्री सुरेन्द्र सिंह और श्री लेखराम मीणा दोनों एक ही साथ कार्यालय में बैठे है, इसलिये श्री सुरेन्द्र सिह पटवारी परिवादी से रिश्वत माग सम्बन्धी वार्ता नहीं करेगा इसलिये परिवादी को मांग सत्यापन हेतु डी.वी.आर. सुपुर्द कर नहीं भेजा है जैसे ही दोनों अधिकारी अलग अलग होगे मैं परिवादी को श्री सुरेन्द्र सिंह पटवारी के पास रिश्वत माग सत्यापन वार्ता हेतु डी.वी.आर. सुपुर्द कर भेज दूंगा। समय 14.27 पी एम पर मन् पुलिस निरीक्षक को जरिये वाट्सअप वॉयस कॉल श्री पन्ना लाल कानि ने बताया कि दोनो संदिग्ध अधिकारीगण के अलग हो जाने पर मैंने समय 01.20 पीएम पर परिवादी को डी.वी.आर चालु कर सुपुर्द करते हुये रिश्वत मांग सत्यापन बार्ता हेतु श्री सुरेन्द्र सिंह पटवारी के पास भेजा था परिवादी के बाहर आने पर उससे डी.वी.आर. लेकर बन्द किया था। इसके बाद में आपके पूर्व निर्देशानुसार संदिग्ध अधिकारी श्री लेखराम मीणा, रीडर तहसीलदार कोटपुतली-बहरोड़ ने परिवादी को स्वयं के कार्य हेतु एस.डी.एम. साहब से बातचीत कर एस डी एम साहब के हिस्से की रिश्वती राशि भी बताने के लिये कहा था, इसलिये समय 02.05 पीएम पर डीवीआर चालु कर परिवादी को संदिग्ध अधिकारी श्री लेखराम मीणा रीडर तहसीलदार के साथ पूर्व में दिनाक 08.09.2025 को की गई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के कम में स्वयं के कार्य हेतु एस.डी.एम. साहब द्वारा श्री लेखराम मीणा को बताई गई उनके हिस्से की रिश्वती राशि के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिये श्री लेखराम मीणा से वार्ता करने भिजवाया था और मैं भी परिवादी के पीछे पीछे अपनी उपस्थिति छुपाता हुआ तहसील कार्यालय के पास मुकीम रहा। परिवादी ने कुछ देर बाद तहसील कार्यालय से वापिस बाहर आकर डीवीआर सुपुर्द किया जिसे मैने बन्द कर लिया था। मन् पुलिस निरीक्षक की श्री पन्नालाल कानि ने परिवादी से बात करवाई तो परिवादी ने बताया कि जब मै आज पहले श्री सुरेन्द्र पटवारी के पास बात करने के लिए गया तो पटवारी ने मुझसे रिश्वत राशि के बारे में कोई बातचीत नहीं की और उसने मुझसे अकेले में वार्ता नहीं की बहुत ही सावधानी से बातचीत कर रहा था तथा जब मैं श्री लेखराम मीणा से मिलने के लिये तहसील कार्यालय में गया और मैने श्री लेखराम मीणा रीडर तहसील कार्यालय से मेरे कार्य की एवज में एस.डी.एम. साहब के द्वारा मागी गई रिश्वती राशि के बारे में बातचीत करने लगा तो श्री लेखराम मीणा ने कहा कि एस.डी.एम. साहब ने आपका काम करने के लिये मना कर दिया है और आप अपना भुमि कन्वर्जन का काम किसी अन्य चैनल के माध्यम से करवा लो। श्री लेखराम मीणा से बातचीत करने के दौरान वहां श्री सुरेन्द्र सिंह पटवारी भी उपस्थित आ गये और स्वयं के मोबाईल फोन पर किसी अन्य व्यक्ति से जोर जोर से वार्ता करने लगे। परिवादी ने कहा कि श्री लेखराम मीणा रीडर तहसीलदार ने एस.डी.एम. साहब द्वारा मेरे कार्य को करने से मना करना बताया है एवं श्री लेखराम ने भी मेरा काम किसी अन्य चैनल से करवाने के लिये कह दिया है। सम्भवतया श्री लेखराम मीणा रीडर तहसीलदार भी अब मेरे काम की एवज में रिश्वती राशि नहीं ले या फिर श्री लेखराम मीणा रीडर तहसीलदार ने ऐसी बात उक्त वार्ता के समय श्री सुरेन्द्र सिंह पटवारी के उपस्थित होने के कारण कही हो इसलिये अब मैं एक दो दिन के बाद में वापस श्री लेखराम जी से मेरी दुकान या उनके घर पर मिलकर मेरे कार्य के सम्बन्ध में वार्ता करूंगा। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री पन्ना लाल कानि को डी.वी.आर. सुरक्षित रखने की हिदायत कर ब्यूरो मुख्यालय उपस्थित आने हेतु निर्देशित किया तथा परिवादी को आईन्दा संदिग्ध अधिकारी द्वारा बुलाने या मिलने जाने पर तुरन्त अवगत कराने व गोपनीयता की हिदायत की गई। दिनांक 12.09.2025 को समय 15.17 पी.एम पर परिवादी ने स्वयं के मोबाईल नम्बर से मन पुलिस निरीक्षक को कॉल कर बताया कि मैं दिनांक 15.09.2025 को संदिग्ध अधिकारी श्री लेखराम मीणा से मेरे कार्य की एवज में एसडीएम साहब के द्वारा मांगी जा रही रिश्वती राशि के बारे में बातचीत के लिये जाउंगा तथा संदिग्ध अधिकारी श्री लेखराम मीणा को मेरे कार्य की एवज में स्वयं के लिये मांगी गई रिश्वती राशि दूंगा नहीं तो उसे संदेह उत्पन्न हो सकता है। इस पर परिवादी को संदिग्ध अधिकारी श्री लेखराम मीणा को दी जाने वाली रिश्वती राशि लेकर दिनांक 15.09.2025 को ब्यूरो मुख्यालय में उपस्थित आने की हिदायत की गई। हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। दिनांक 15.09.2025 को समय पर 10.00 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक ब्यूरो मुख्यालय उपस्थित चौकी हाजा हूं। श्री पन्ना लाल कानि. ने बताया कि सुबह 07.20 एएम पर परिवादी का फोन आया था जिसने लगभग 12.00 बजे तक ब्यूरो

मुख्यालय उपस्थित आने के बारे में बताया है। इस पर श्री हिम्मत सिंह कानि 560 को पूर्व के पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान् को कार्यालय में बुलाने हेतु निर्देशित किया। समय 12.10 पी.एम पर परिवादी ब्यूरो मुख्यालय उपस्थित आया। परिवादी ने बताया कि सम्भवतया स्वयं के कार्यालय में अन्य स्टाफ उपस्थित होने के कारण श्री लेखराम मीणा रीडर तहसीलदार ने मेरे काम की एवज में रिश्वती राशि के सम्बन्ध में वार्ता करने के लिये पूर्व में भी मुझे स्वयं के घर बुलाया था और शायद इसलिये श्री लेखराम मीणा, रीडर, तहसीलदार ने एस.डी.एम साहब द्वारा मेरा काम करने की एवज में एस. डी.एम. साहब द्वारा ली जाने वाली रिश्वती राशि के सम्बन्ध में मुझसे स्वयं के कार्यालय में कोई वार्ता नहीं की थी और रिश्वती राशि का लेनदेन भी श्री लेखराम मीणा अपने कार्यालय में नहीं करके मेरे गांव स्थित मेरी दुकान पर आकर या स्वयं के घर पर बुलाकर मुझसे प्राप्त करेगा। इसलिये श्री लेखराम मीणा रीडर तहसीलदार से अब मै मेरी दुकान या उनके घर पर मिलकर ही मेरे कार्य के सम्बन्ध में एस.डी.एम. साहब तथा स्वयं के लिये ली जाने वाली रिश्वती राशि के सम्बन्ध में लेनदेन वार्ता करूगा। समय 01.15 पी.एम पर पाबन्दशुदा गवाह उपस्थित कार्यालय आये है जिनके नाम पता पूछने पर गवाहो ने अपने नाम पता श्री रामफुल मीणा पुत्र श्री स्व.श्री बिरदी चंद मीणा, उम्र-47 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट श्रीराम की नांगल, खेजड़ा वालों की ढाणी, वाटिका रोड़ तहसील सागानेर जिला जयपुर हाल अतिरिक्त सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय सहायक अभियन्ता, एफ-4, जेवीवीएनएल, प्रताप नगर, जयपुर। मो०न० एवं श्री चन्द्रशेखर अग्रवाल पुत्र श्री शिवजी लाल गुप्ता, उम्र-33 वर्ष निवासी म.नं. 193/48, सेक्टर-199, प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर हाल- सी.ए. - प्रथम, कार्यालय सहायक अभियन्ता, एफ-4, जेवीवीएनएल, प्रताप नगर, जयपुर। मो०न० होना बताया। स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी का आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा कार्यवाही हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दोनों स्वतंत्र गवाहान् को पढकर सुनाया एवं समझाया गया। जिस पर ट्रैप कार्यवाही हेतु दोनों स्वतंत्र गवाहान् ने अपनी सहमति प्रदान करते हुए परिवादी के प्रार्थना पत्र पर अपने अपने हस्ताक्षर किये। समय 2.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपरोक्त स्वतंत्र मौतबीरान के समक्ष परिवादी श्री तेजसिंह को दिनांक 08.09.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मुताबिक संदिग्ध आरोपीगण को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने के संबंध में कहा गया तो परिवादी श्री तेजसिंह ने अपने पास से संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वती राशि 30,000/- रूपये जिनमें पांच-पांच सौ रूपये के 60 नोट कुल 30,000/- रूपये एवं 40,000/- रूपये भारतीय मनोरंजन बैंक के पाँच-पाँच सौ रूपये के 80 नोट प्रत्येक नोट DUK 616850 नम्बर के कुल चालीस हजार रूपये निकाल कर मन निरीक्षक पुलिस को पेश किये। परिवादी ने कहा कि मेरे पास अभी 30,000/-रूपये ही हैं मैंने सुन रखा है कि डमी नोट लगाकर भी ए.सी.बी अपनी कार्यवाही करती है. इसलिए मैं 40,000/- रूपये के डमी नोट लाया हूँ। रिश्वत राशि के रूप में दिये जाने वाले भारतीय मनोरंजन बैंक के सभी 80 नोटों के एक समान नम्बरों का विवरण निम्न प्रकार से है- DUK 616850 उक्त नोटों के नम्बर मन् पुलिस निरीक्षक एवं उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटों के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। जिस पर कार्यालय में उपस्थित श्रीमती मंजू सिंह, कनिष्ठ सहायक से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर एक टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उपरोक्त रिश्वती राशि 70,000/- रूपये जिनमें (भारतीय प्रचलित मुद्रा) के पांच-पाच सौ रूपये के 60 नोट राशि 30,000/-रूपये एवं 40,000/- रूपये भारतीय मनोरजंन बैंक के 80 नोट प्रत्येक नोट DUK 616850 नम्बर के कुल चालीस हजार रूपये के नोटों पर श्रीमती मंजू सिंह, कनिष्ठ सहायक से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। गवाह श्री रामफूल मीणा से परिवादी श्री तेजसिंह की जामा तलाशी लिवाई जाकर परिवादी के पास मोबाईल फोन के अलावा कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गयी। श्रीमती मंजू सिंह, कनिष्ठ सहायक उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वती राशि 70,000/- रूपये जिनमें (भारतीय प्रचलित मुद्रा) के पांच-पांच सौ रूपये के 60 नोट राशि 30,000/- रूपये एव 40,000/- रूपये भारतीय मनोरजन बैंक के 80 नोट प्रत्येक नोट DUK 616850 नम्बर के कुल चालीस हजार रूपये संदिग्ध अधिकारीगण/ कर्मचारी को देने हेतु परिवादी के पहने हुए पेट की सामने की बांयी जेब में रखवाये गये एवं परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को तब तक नहीं छुयेगा जब तक कि रिश्वत मांगने वाला अधिकारी/कर्मचारी रिश्वत के रूप में माग नहीं करे तथा मागने पर ही वह पाउडर युक्त राशि उन्हें देवें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि संदिग्ध अधिकारी/कर्मचारी उससे रिश्वत की राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखता है अथवा कहां छिपाता है, का भी ध्यान रखे और रिश्वत राशि उसे देने से पूर्व एवं बाद में उससे हाथ नहीं मिलावें, दूर से ही अभिवादन कर लेवें। संदिग्ध अधिकारी/कर्मचारी को रिश्वती राशि देने के बाद यह अपने मोबाइल फोन से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाइल नम्बर पर मिसकॉल/फोन कर तथा अपने सिर पर हाथ फेर कर ईशारा करे। इसके पश्चात गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस पास रहकर परिवादी व संदिग्ध अधिकारी/कर्मचारी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन-देन को देखने का प्रयास करे। इसके बाद एक कांच के गिलास में साफ पानी डालकर उसमें कुछ मात्रा में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया जिसका रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे परिवादी, स्वतंत्र गवाहान एवं सभी उपस्थितगणों ने अपरिवर्तित होना बताया। उक्त गिलास के घोल में श्रीमती मंजू सिंह, कनिष्ठ सहायक के हाथों की अगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया। जिस पर परिवादी व गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाउडर लगे नोटों को छुयेगा तो उसके हाथों में यह

पाउडर लग जायेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया एवं फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को वापस कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। जिस अखबार पर रखकर नोटों पर फिनोपथलीन पाउडर लगाया गया, उसे भी जलाकर नष्ट किया गया तथा श्रीमती मंजू सिंह, कनिष्ठ सहायक के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से घुलवाया । इसके बाद परिवादी गवाहान एवं टैप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से घुलवाये गये तथा टैप बॉक्स में रखी खाली शीशियां ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साफ पानी व साबुन से घुलवाया गया। परिवादी को छोडकर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो सभी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। परिवादी को निर्देश दिये गये कि मोबाईल फोन को अपने शर्ट की उपर की जेब में रखे आवश्यकता पडने पर ही अपने फोन से बात करें। परिवादी को संदिग्ध अधिकारीगण व उसके मध्य रिश्वत्त के लेन-देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के संचालन की आवश्यक समझाईस कर रिश्वत मांग सत्यापन के वक्त काम में लिया गया डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर जो कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया था, को बाहर निकालकर सुपुर्द किया गया तथा श्रीमती मंजू सिंह, कनिष्ठ सहायक को कार्यालय में रहने की हिदायत मुनासिब की गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर एंव सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर पृथक से तैयार कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । समय 03.15 पी.एम पर मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी, मय स्वतंत्र गवाह श्री चन्द्रशेखर एव श्री कमलेश कुमार हैड कानि 74, श्री अमित ढाका हैड कानि. 139, श्री पन्नालाल कानि.09. श्री हिम्मत सिंह कानि.560, श्री जीतराम कानि, श्री विनोद कानि, श्री महेन्द्र कुमार कानि, श्री धर्मसिंह कानि. मय चालक व सरकारी वाहन तथा अन्य सरकारी वाहन मय चालक के श्री सज्जन कुमार पुलिस निरीक्षक, श्री सुभाष हैड कानि. श्रीमति सोहनी मकानि मय स्वतंत्र गवाह श्री रामफुल मीणा गोपनीय कार्यवाही हेतु मय ट्रैप बॉक्स प्रिन्टर लैपटोप ब्यूरो मुख्यालय से रवाना हुये। परिवादी ने बताया मेरी मोटरसाईकिल कोटपुतली बस स्टैण्ड पर खडी है। कोटपुतली से आगे हरियाणा की ओर जाने वाले हाईवे पर नंगला चौराहा है। नंगला चौराहे से मेरा गांव लगभग दो किलोमीटर दूरी पर है। मेरे गांव में जाने के लिये नंगला चौराहा हाईवे से रास्ता जाता है। जहां पर गाडियों को रोकना होगा नहीं तो गांव में गाडियों का आना जानकर कार्यवाही असफल होने की सम्भावना हो सकती है। मेरे गांव और श्री लेखराम मीणा के गांव में लगभग चार किलोमीटर की दूरी है। इस पर श्री सज्जन कुमार, पुलिस निरीक्षक को मय जाप्ता कोटपुतली से आगे नंगला चौराहा हाईवे पर पहुँचने की हिदायत की गई। हालात् उच्चाधिकारियों को अर्ज किये गये। समय 05.50 पी.एम पर मन पुलिस निरीक्षक मय ट्रैप पार्टी कोटपुतली पहुँचा, जहां वाहनों को साईड में खड़ा करवाया। परिवादी से आगे नंगला चौराहा हाईवे पर पहुँचे तथा श्री सज्जन सिंह, पुलिस निरीक्षक मय श्री कमलेश कुमार हैड कानि 74. श्री हिम्मत सिंह कानि.560, श्री विनोद कानि, श्री महेन्द्र कुमार कानि, श्री धर्मसिंह कानि. श्रीमति सोहनी म. कानि. वाहन सरकारी आरजे 14 पीई 8775 फार्स ट्रेवलर मय चालक को नंगला चौराहा हाईवे पर ही रूकने तथा संदिग्ध अधिकारीगण द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के उपरान्त ईशारा प्राप्त होते ही तुरन्त घटनास्थल पर पहुँचने की हिदायत की गई एवं मन पुलिस निरीक्षक मय श्री सुभाष हैड कानि, श्री अमित हैड कानि. श्री पन्नालाल कानि श्री जीतराम कानि., स्वतंत्र गवाहान मय सरकारी वाहन मय चालक, लेपटॉप प्रिन्टर व ट्रेपबॉक्स एवं विभागीय कैमरे के नंगला चौराया से रवाना होकर परिवादी की दुकान से थोड़ा पहले पहुँच सरकारी वाहन को साईड में खड़ा करवाया जाकर श्री सुभाष हेड कानि. श्री अमित ढाका, हैड कानि, श्री जीतराम कानि, को सरकारी वाहन में ही रहने की हिदायत कर मन् पुलिस निरीक्षक, परिवादी, श्री पन्नालाल कानि तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान को हमराह लेकर पैदल पैदल परिवादी की दुकान पर पहुँचे। परिवादी ने बताया कि मैं संदिग्ध को फोन कर मिलने के लिए पूछ लेता हूँ, इस पर श्री पन्नालाल कानि से डीजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालु करवाया तथा परिवादी श्री तेजसिंह के मोबाईल फोन नम्बर से संदिग्ध अधिकारी श्री लेखराम मीणा रीडर तहसीलदार, कोटपुतली-बहरोड के मोबाईल नम्बर पर समय 6.34 पीएम पर व्हाटसएप कॉल परिवादी के मोबाईल फोन का लाउडस्पीकर ऑन करवाया जाकर करवाया। उक्त कॉल को विभागीय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। संदिग्ध अधिकारी श्री लेखराम मीणा द्वारा परिवाटी के फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया गया। जिस पर श्री पन्नालाल कानि से डीजिटल वॉयस रिकॉर्डर बन्द करवाया गया तथा परिवादी ने बताया कि हो सकता संदिग्ध अधिकारी किसी अन्य कार्य में व्यस्त हों. इसलिए फोन काट दिया हो। जिस पर संदिग्ध अधिकारी का वापिस कॉल आने का इन्तजार किया गया। लेकिन काफी समय तक संदिग्ध अधिकारी का पुनः कॉल नहीं आने पर पुनः श्री पन्नालाल कानि से डीजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालु करवाया तथा परिवादी श्री तेजसिंह ने स्वयं के मोबाईल फोन से संदिग्ध अधिकारी श्री लेखराम मीणा, रीडर, तहसीलदार, कोटपुतली-बहरोड़ के मोबाईल पर समय 7.29 पी.एम पर व्हाटसएप कॉल परिवादी के मोबाईल फोन का लाउडस्पीकर ऑन कर करवाया गया उक्त कॉल को विभागीय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। संदिग्ध अधिकारी श्री लेखराम मीणा द्वारा परिवादी के फोन कॉल का कोई जबाब नहीं दिया। जिस पर श्री पन्नालाल कानि. से डीजिटल वॉयस रिकॉर्डर बन्द करवाया गया तथा इसी दौरान परिवादी ने बताया कि आज दोपहर में मेरी ई-मेल आई.डी.पर मैसेज आया था मैं फोन के बारे में इतना जानता नहीं हूँ जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त मैसेज को देखने पर उक्त मैसेज DONOTREPLYREVENUE DEPARTMENT से

-

परिवादी की ई-मेल आई.डी. TJAT6333@GMAIL COM पर समय 12.43 पी.एम. पर आया हुआ था। उक्त मैसेज Dear Sir/Madam Your Application for Land Conversion bearing Application id LI/202425/216884 has been forwarded to SDO forfurther processing- Regards, Revenue Dept, GOR लिखा हुआ था। जिसके अवलोकन पर पाया कि संदिग्ध अधिकारी ने परिवादी का कार्य अपने पास पैण्डिग नहीं रखकर उसे आगे फारवर्ड कर दिया है। जिस पर परिवादी ने बताया कि या तो संदिग्ध अधिकारी को कोई शक हो गया या वह किसी अन्य दिन मेरे से रिश्वती राशि प्राप्त करने हेतु सम्पर्क कर सकता है। जिस पर आज ट्रेप कार्यवाही की संभावना नगण्य होने पर हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। समय 8.00 पी.एम पर मन पुलिस निरीक्षक ने संदिग्ध अधिकारीगण को दी जाने वाली रिश्वती राशि परिवादी की जेब से बाहर निकाल कर ट्रेप बॉक्स से लिफाफा लेकर स्वतंत्र गवाह श्री रामफूल मीणा को स्वयं के पास ही सुरक्षित रखने तथा ब्यूरो कार्यालय पहुँचने पर सुपुर्द करने की हिदायत की गई तथा परिवादी को संदिग्ध अधिकारी द्वारा आईन्दा रिश्वती राशि प्राप्त करने हेतु सम्पर्क करने पर तुरन्त मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाने तथा गोपनीयता बरतने की हिदायत मुनासिब की गई। परिवादी को मौके पर छोड़कर मन् निरीक्षक पुलिस मय श्री सुभाष हैड कानि, श्री अमित हैड कानि श्री पन्नालाल कानि श्री जीतराम कानि, स्वतत्र गवाहान मय सरकारी वाहन मय चालक के परिवादी की दुकान से रवाना होकर नगला चौराये पर पहुँचा, जहाँ पर श्री सज्जन कुमार, पुलिस निरीक्षक मय शेष ट्रेप पार्टी उपस्थित मिली, जिन्हें ब्यूरो कार्यालय पहुँचने की हिदायत मुनासिब कर मन् पुलिस निरीक्षक हमरा जाप्ता के ब्यूरो मुख्यालय को रवाना हुआ। हालात उच्चाधिकारियो को निवेदन किये गये। समय 11.10 पी.एम परः मन पुलिस निरीक्षक मय श्री सुभाष हैड कानि, श्री अमित हैड कानि. श्री पन्नालाल कानि. श्री जीतराम कानि., स्वतंत्र गवाहान मय सरकारी वाहन मय चालक तथा श्री सज्जन कुमार पुलिस निरीक्षक मय मय श्री कमलेश कुमार हैड कानि 74, श्री हिम्मत सिंह कानि. 560. श्री विनोद कानि, श्री महेन्द्र कुमार कानि श्री धर्मसिंह कानि. श्रीमति सोहनी म.कानि. वाहन सरकारी आरजे 14 पीई 8775 फार्स ट्रेवलर मय चालक लेपटॉप प्रिन्टर व ट्रेपबॉक्स एवं विभागीय कैमरे तथा परिवादी से प्राप्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त राशि जो स्वतंत्र गवाह के पास सुरक्षित है, के ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। श्री पन्नालाल कानि से विभागीय डीजिटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त किया जाकर सुरक्षित कार्यालय के अलमारी में रखवाया गया। तत्पश्चत्त परिवादी से प्राप्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त राशि जो स्वतंत्र गवाह श्री रामफूल मीणा के पास सुरक्षित है को दूसरे गवाह श्री चन्द्रशेखर अग्रवाल से एक अखबार में लपेटकर कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवायी गई। स्वतंत्र गवाहान को बाद मुनासिब हिदायत रवाना किया गया। आईन्दा परिवादी के उपस्थित आने पर ट्रेप कार्यवाही में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 22.09.2025 को समय 7.11 पीएम पर श्री तेज सिंह ने मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल फोन पर व्हाट्सएप कॉल कर बताया कि पटवारी श्री सुरेन्द्र चौधरी ने आज मेरे पिताजी के फोन नम्बर पर कॉल कर पिताजी को हमारे काम के सम्बन्ध में तहसील कार्यालय बुलाया था। जिस पर मैं ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा में चल रहे कैम्प मे जाकर पटवारी श्री सुरेन्द्र चौधरी से मिला तो उन्होंने लैण्ड कन्वर्जन के लिए मेरे पिताजी द्वारा और जमीन का समर्पण नामा करने के लिए कहा तथा इस काम के लिए केवल मेरे पिताजी को ही भेजने के लिए कहा। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को हिदायत मुनासिब की गई। दिनांक 23.09.2025 को समय 3.28 पी.एम पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री तेज सिंह को कॉल किया गया तथा समर्पणनामा के सम्बन्ध में हुई वार्ता के सम्बन्ध में जानना चाहा तो परिवादी ने बताया कि मेरे पिताजी तहसील कार्यालय गये हुये है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आये हैं, जिस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को हिदायत मुनासिब की गई। समय 08.07 पी.एम पर परिवादी श्री तेज सिंह ने मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल फोन पर व्हाट्सएप कॉल कर बताया कि पटवारी श्री सुरेन्द चौधरी ने लैण्ड कन्वर्जन के लिए मेरे पिताजी को और जमीन समर्पणनामा के कागजात पेश करने के सम्बन्ध में बुलाया था तथा मेरे पिताजी से पैसों के सम्बन्ध में कोई वार्ता नहीं की है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को स्वयं के कार्य के सम्बन्ध में संदिग्ध अधिकारी का आईन्दा कोई मैसेज/कॉल आने पर तुरन्त अवगत कराने एवं गोपनीयता बरतने की मुनासिब हिदायत की गई। हालात चौकी प्रभारी को निवेदन किये गये। दिनांक 29.09.2025 को समय 12.57 पी.एम पर परिवादी श्री तेज सिंह ने मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल फोन पर व्हाटसएप कॉल कर बताया कि अभी तक संदिग्ध अधिकारी का मेरे पास कोई मैसेज / कॉल नहीं आया है. उन्हें मेरे द्वारा एसीबी कार्यवाही के बारे में कोई संदेह हो गया है संभवतया संदिग्ध अधिकारी अब मुझसे मेरे काम की एवज में रिश्वती राशि प्राप्त नहीं करेगें,संदिग्ध अधिकारीगण को दी जाने वाली रिश्वती राशि मेरे द्वारा आपको पेश की गई थी, वह पैसे आप मुझे लौटा दें तो मेरे काम आ जायेगें। मुझे पैसे लेने कब आना है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से तहसील कार्यालय में उसका कार्य हो जाने के बारे में पूछा गया तो परिवादी ने बताया कि अभी मेरा काम नहीं हुआ है इस पर परिवादी ने कहा कि अभी मेरा काम हुआ नहीं है, तो हो सकता है संदिग्ध अधिकारी मुझसे काम होने के बाद में मेरे काम की एवज में पैसे मांग लें। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को उसका काम पूर्ण होने पर उसके द्वारा पेश की गई रिश्वती राशि लेने के लिए ब्यूरो मुख्यालय में आने की हिदायत की गई। तथा हालात चौकी प्रभारी को निवेदन किये गये। दिनांक 08.10.2025 को समय 07.28 पी.एम पर परिवादी श्री तेज सिंह को मन पुलिस निरीक्षक ने जरिये व्हाटसएप कॉल कर उसके पैण्डिग कार्य के बारे में पूछा तो बताया कि संदिग्ध अधिकारीगण पटवारी श्री सुरेन्द्र चौधरी एवं तहसीलदारजी के

.रीडर श्री लेखराम मीणा ने मेरा पैण्डिग कार्य आज दिनाक 08.10.2025 को कर दिया है तथा अब संदिग्ध अधिकारीगण मुझसे पैसे नहीं लेंगे। जिस पर रिश्वत लेन-देन की कार्यवाही भी नहीं हो सकती है। अतः ट्रेप की संभावना नहीं होने से परिवादी को स्वयं का कार्य पूरे होने से सम्बन्धित दस्तावेज लेकर कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत की गई। जिस पर परिवादी ने दिनाक 09.10.2025 को ब्यूरो मुख्यालय उपस्थित होना बताया। इस पर उक्त गोपनीय कार्यवाही में पूर्व से पाबन्दशुदा दोनों स्वंतत्र गवाहान श्री रामफूल मीणा एवं श्री चन्द्रशेखर अग्रवाल को जरिये टेलीफोन कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत की गई तथा हालात चौकी प्रभारी को निवेदन किये गये। दिनांक 09.10.2025 को समय 10.30 ए.एम पर परिवादी श्री तेजसिंह एवं पूर्व के पाबन्दशुदा गवाह श्री रामकुल मीणा हाल अतिरिक्त सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय सहायक अभियन्ता, एफ-4, जेवीवीएनएल, प्रताप नगर, जयपुर एवं श्री चन्द्रशेखर अग्रवाल हाल- सी.ए.-प्रथम, कार्यालय सहायक अभियन्ता, एक-4. जेवीवीएनएल, प्रताप नगर, जयपुर उपस्थित कार्यालय आये। स्वतंत्र गवाहान को बैठाया गया। दोनों स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में परिवादी ने बताया कि संदिग्ध अधिकारीगण ने मेरा पैण्डिग कार्य पूर्व में दिनांक 08.10.2025 को कर दिया और इसलिए अब वो मुझसे पैसे भी नहीं मागेंगे। चूंकि अब संदिग्ध अधिकारीगण श्री लेखराम मीणा व अन्य द्वारा परिवादी से रिश्वत लेने की सभावना नहीं होने से रिश्वत लेन-देन की कार्यवाही भी नहीं हो सकती है। इसलिए परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट एवं सीडी बर्न की कार्यवाही की जाकर सम्पूर्ण कार्यवाही की तथ्यात्मक रिपोर्ट ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित किया जाना तय किया। तत्पश्चात परिवादी श्री तेजसिंह एवं स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिती में उक्त कार्यवाही में पूर्व में हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो डीजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, जिसमें संदिग्ध अधिकारी श्री लेखराम मीणा, श्री सुरेन्द्र चौधरी एवं परिवादी के मध्य हुई वार्ताएँ है, लेपटॉप के माध्यम से दोनों गवाहान के समक्ष चलाकर परिवादी को सुनाई जाकर उक्त में रिकॉर्ड वार्ताओं में आवाज की पहचान करवाई तथा उक्त रिकॉर्ड वॉयस क्लिपों की फर्द वार्ता रूपान्तरण मूर्तिब किया जाना प्रारम्भ किया गया। समय 06.00 पी. एम तक डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ताओं को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी को सुनाकर उसमें रिकॉर्ड वार्ताओं में आवाज की पहचान करवाई गई तो उक्त वार्ताओं में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 08.09.2025 में परिवादी श्री तेजसिंह ने एक आवाज स्वयं की एवं अन्य आवाज आरोपी श्री लेखराम मीणा, रीडर की होना पहचान की। इसी प्रकार रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 10.09.2025 में परिवादी श्री तेजसिंह ने एक आवाज स्वयं की तथा अन्य आवाज श्री सुरेन्द्र चौधरी, पटवारी की तथा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 11.09.2025 में परिवादी श्री तेजसिंह ने एक आवाज स्वयं की तथा अन्य आवाज आरोपी श्री सुरेन्द्र चौधरी, पटवारी एवं श्री लेखराम मीणा, रीडर की होना पहचान की। तत्पश्चात् दोनो गवाहान एवं परिवादी के समक्ष दिनांक 08.09.2025, दिनांक 10.09.2025 एवं दिनांक 11.09.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय परिवादी तथा आरोपी के मध्य हुई वार्ताओं का वार्ता रूपान्तरण तैयार किया तत्पश्चात कार्यालय से चार खाली डीवीडी की व्यवस्था की जाकर उन्हें लेपटॉप के जरिये खाली होना सुनिश्चित किया गया। दोनों गवाहान एवं परिवादी के समक्ष डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में दर्ज उपरोक्त वार्ताओं की वॉयस क्लिपों को लेपटॉप में लोड किया गया। इसके पश्चात् उपरोक्त वार्ताओं की वॉयस क्लिपों को चारो खाली डीवीडी में बारी-बारी से डाउनलोड किया गया। सभी डीवीडी को पुनः लेपटॉप पर चलाया जाकर सुना गया तो उसमें उपरोक्त वार्ताएँ दर्ज होना पाया गया। इसके बाद तीन डीवीडी को पृथक पृथक सफेद कपड़े की थैलिओं में सिलकर सील मोहर कर कमशः मार्क A-1 (न्यायालय प्रति). मार्क A-2 (अभियोजन प्रति), एवं मार्क A-3 आरोपी हेतु अंकित किया गया एवं चौथी डीवीडी को अनुसंधान अधिकारी हेतु हेतु खुला रखा जाकर सभी पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड को एक खाली माचिस की डिब्बी में रखकर उस पर टेप लगाकर माचिस की डिब्बी को सफेद कपडे की थेली में रखकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर कर थेली पर मार्क SD अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। फर्द ट्रांसकिप्ट के दौरान स्थानीय भाषा का हिन्दी रूपान्तरण मेरे द्वारा परिवादी से पूछ-पूछ कर किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द ट्रांसक्रिप्ट एवं डी.वी.डी. बर्न की कार्यवाही की जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी से उसका कार्य पूर्ण होने के संबंध में कागजात पेश करने की कहने पर परिवादी ने बताया कि अभी मुझे कन्वर्जन के आदेश नहीं मिले है, मैं आपको दो-चार दिन में पेश कर दूंगा तथा मेरे द्वारा कार्यवाही के लिए दिये गये पैसे भी तभी ले जाऊगा। कार्यवाही हाजा में उपरोक्त वार्ताओं से संदिग्ध अधिकारी श्री लेखराम मीणा, रीडर तहसील कार्यालय, कोटपुतली-बहरोड़ का रिश्वती राशि मांग कर लेनदेन हेतु सहमत होना प्रकट होता है परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में ट्रेप कार्यवाही की सभांवना नहीं होने से परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान को रूकसत किया गया। दिनांक 17.10.2025 को समय 04.15 पी.एम पर परिवादी श्री तेजसिंह जयपुर उपस्थित कार्यालय आये। परिवादी को बैठाया गया। परिवादी ने स्वयं का कार्य हो जाने के संबंध में कर्वजन आदेश की छायाप्रति हस्ताक्षर कर पेश की जिसे शामिल कार्यवाही की गई। परिवादी ने कार्यवाही हेतु दी गई राशि 30.000/- रूपये वापस लौटाने के लिये लिखित में प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर पूर्व के पाबन्दशुदा गवाह श्री रामफुल मीणा हाल अतिरिक्त सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय सहायक अभियन्ता एफ-4, जेवीवीएनएल, प्रताप नगर जयपुर एवं श्री चन्द्रशेखर अग्रवाल हाल सी.ए. प्रथम, कार्यालय सहायक अभियन्ता एफ-4, जेवीवीएनएल, प्रताप नगर, जयपुर को तलब कर कार्यालय बुलाया गया। स्वतंत्र गवाहान के

उपस्थित आने पर दोनों स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रार्थना पत्र जिसमें प्रकरण में तहसील कार्यालय कोटपुतली के संदिग्ध अधिकारी को स्वयं द्वारा ए.सी.बी. में उनकी शिकायत करने की भनक लग जाने की संभावना बताते हुए अब ट्रेप कार्यवाही नहीं होने का उल्लेख करते हुए स्वयं द्वारा पेश की गई रिश्वत राशि 30,000/- रूपये, जिनमें पांच-पांच सौ रूपये के 60 नोट कुल 30,000/- रूपये एवं भारतीय मनोरंजन बैंक के पाँच-पाँच सौ रूपये के 80 नोट प्रत्येक नोट DUK 616850 नम्बर के 40,000/- रूपये कुल 70 हजार रूपये को लौटाने का निवेदन किया गया है, गवाहान को पढाया गया। हालात चौकी प्रभारी को अवगत करवाये जाकर परिवादी के प्रार्थना पत्र पर परिवादी को राशि लौटाने के आदेश प्राप्त किये गये। चूंकि संदिग्ध अधिकारी को एसीबी की ट्रेप कार्यवाही की भनक लग चुकी हैं। अब ट्रेप कार्यवाही होने की सम्भावना नहीं है। अतः गवाह श्री रामफूल मीणा से कार्यालय की अलमारी से रिश्वत में दी जाने वाली राशि निकलवाई। नोटों पर लगा फिनोफथलीन पाउडर साफ करवाकर नोटों को गिनवाया। तो उक्त राशि पूर्व में परिवादी द्वारा पेश की गई जिनमें प्रचलित भारतीय मुद्रा के 30,000/- रूपये, जिनमें पांच-पांच सौ रूपये के 60 नोट एवं भारतीय मनोरंजन बैंक के पाँच-पाँच सौ रूपये के 80 नोट प्रत्येक नोट DUK 616850 नम्बर के 40,000/- रूपये कुल 70 हजार रूपये हैं। उक्त राशि परिवादी श्री तेजसिंह को सुपूर्द कर प्रार्थना पत्र पर प्राप्ति की रसीद प्राप्त कर स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान को रूकसत किया गया। कार्यवाही में जब्तशुदा तीन डीवीडी एवं मूल मेमोरी कार्ड को पत्रांक 2406 से जमा मालखाना करवाया जाकर रसीद प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई।मामला हाजा में अब तक के हालातों को देखते हुवे रिश्वत लेनदेन होने एवं ट्रेप कार्यवाही किये जाने की संभावना नहीं रही है। अब तक के हालातों से आरोपी श्री लेखराम मीणा, रीडर तहसील कार्यालय कोटपुतली-बहरोड़ द्वारा परिवादी श्री तेज सिंह से उसके पिताजी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में लगभग 8700 वर्गमीटर कृषि भूमि ग्राम करवास में से 1000 वर्गमीटर कृषि भूमि पर ऑयल मिल चलाने के लिऐ फ॰ूड प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में भू उपयोग परिवर्तन का आवेदन परिवादी के पिताजी द्वारा दिनांक 24.03.2025 को उपखण्ड अधिकारी कोटपुतली बहरोड़ कार्यालय में किया था। जिसका आवेदन सं LC/ 2024-25/216884 है। उक्त भू उपयोग परिवर्तन जारी करने की एवज में कोटपुतली तहसीलदार का रीडर श्री लेखराम मीणा द्वारा स्वयं के लिए एवं तहसीलदार व SDM के नाम पर 1-1 लाख रू.की रिश्वत मॅांग करना रिश्वत मॉग सत्यापन वार्ता से पाया गया है। अन्य आरोपीगण की भूमिका के संबंध में विस्तृत अनुसंधान से स्थिती स्पष्ट होने की सम्भावना है।अतः आरोपी श्री लेखराम मीना पुत्र श्री रामजी लाल, उम्र-34 साल निवासी-ग्राम नांगल चेचिका पोस्ट जयसिहपुरा तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली-बहरोड हाल कनिष्ठ लिपिक, तहसील कार्यालय-कोटपूतली, जिला कोटपूतली-बहरोड व अन्य के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु मुख्यालय प्रेषित है।(रघुवीर शरण)पुलिस निरीक्षकविशेष अनुसंधान ईकाईभ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर............. कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रघुवीर शरण, पुलिस निरीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)मे आरोपी श्री लेखराम मीना पुत्र श्री रामजी लाल, उम्र-34 साल निवासी-ग्राम नांगल चेचिका पोस्ट जयसिहपुरा तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली-बहरोड हाल कनिष्ठ लिपिक, तहसील कार्यालय-कोटपूतली, जिला कोटपूतली-बहरोड व अन्य के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती अर्चना मीना, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू.-1 को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 50 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1817-20 दिनांक 05.12.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-1, जयपुर 2- जिला कलक्टर, जिला कोटपूतली-बहरोड 3- उप महानिरीक्षक-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**
or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** ARCHANA MEENA **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan, IN
Date: [illegible]/2025 [illegible]

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया)

S.No.(क.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1992				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)